UPBN010029152024

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–1, बदायूँ

उपस्थितः कु० रिंकू (एच०जे०एस०)

फौजदारी निगरानी संख्या–56/2024

1– सूबेदार खाँ पुत्र स्व० दफेदार खाँ निवासी ग्राम रमजानपुर, थाना कादरचौक, तहसील व जिला बदायूँ
1/1– छम्मन खाँ पुत्र श्री सूबेदार खाँ निवासी ग्राम रमजानपुर, थाना कादरचौक, परगना उझानी, तहसील व जिला बदायूँ।
1/2– बब्बन खाँ पुत्र स्व० सूबेदार खाँ निवासी ग्राम रमजानपुर पोस्ट रमजानपुर परगना उझानी तहसील व जिला बदायूँ।

..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कलैक्टर बदायूँ
2– यादवेन्द्र सिंह शाक्य पुत्र भगवान सिंह शाक्य निवासी मोहल्ला शिवपुरम, कचहरी रोड, शहर व जिला बदायूँ।
3– कु० लक्ष्मी पुत्री आत्म प्रकाश पत्नी अखिलेश सिंह शाक्य निवासी ग्राम भोजपुर, तहसील बिल्सी जिला बदायूँ, हाल निवास मोहल्ला शिवपुरम, कचहरी रोड, शहर व जिला बदायूँ।

.....विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

01– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा कम्प्यूटरीकृत वाद सं० टी202412070103191/2024 सूबेदार खाँ बनाम यादवेन्द्र सिंह शाक्य आदि अंतर्गत धारा 145(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, थाना कादरचौक, जिला बदायूँ के द्वारा पुलिस रिपोर्ट दिनाँक 28.02.2024 के आधार पर दिनाँक 28.02.2024 को प्रश्नगत सम्पत्ति पर 145 की कार्यवाही करते हुये विवादित सम्पत्ति को कुर्क कर तीसरे पक्ष की सुपुर्दगी में देने के आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी ।

02– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी के कथन इस प्रकार हैं कि अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद संख्या– टी202412070103191/2024 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2024 विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया और अपने में निहित अधिकारिता से परे जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अवर न्यायालय ने मनमाने ढंग से विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर

राजनैतिक दवाब में आकर प्रश्नगत सम्पत्ति पर विपक्षीगण सं0 2 व 3 को जबरन कब्जा कराने के उद्देश्य से प्रश्नगत आदेश पारित किया है। विवादित संपत्ति पर प्रार्थी /निगरानीकर्ता का शांतिपूर्ण कब्जा व अध्यासन चला आता है। विपक्षीगण सं० 2 व 3 ने नाजायज व गैरकानूनी तरीके से विवादित संपत्ति को हथियाने के लिये धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी। प्रश्नगत सम्पत्ति खसरा नं0 970 रकवा 1.2290 हैक्टेअर एवं भूमि खसरा नं0 1256 रकवा 0.9203 हैक्टेअर स्थित ग्राम रमजानपुर, परगना उझानी थाना कादरचौक तहसील व जिला बदायूँ का प्रार्थी/ निगरानीकर्ता मालिक, काबिज व संक्रमणीय भूमिधर चला आता है। प्रश्नगत सम्पत्ति के पूर्व मालिक व स्वामी बाबूराम पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम रमजानपुर थे जो कि कम पढ़े–लिखे व्यक्ति थे तथा हस्ताक्षर करना अच्छी तरह जानते थे जिनकी 3 ग्राम निजामपुर, मिढ़ौली मिर्जापुर तथा रमजानपुर में भूमि थी। बाबूराम के कोई सन्तान नहीं थी और बाबूराम निगरानीकर्ता के पास रहा करते थे जिनकी हर प्रकार से सेवा व देखभाल निगरानीकर्ता द्वारा किये जाने के कारण बाबूराम ने अपनी सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 09.06.1996 को अपने जीवनकाल में निगरानीकर्ता के पक्ष में कर दी जो अन्तिम वसीयत थी। उक्त वसीयत दिनांक 09.06.1996 पर बाबूराम के सगे भाई राजाराम ने गवाह की हैसियत से अपने हस्ताक्षर किये। बाबूराम का निधन हो जाने के पश्चात् तहसीलदार, सहसवान के आदेश दिनांक 03.07.1999 के द्वारा उक्त सम्पत्ति को लेकर राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज हुआ। जिसको लेकर राजाराम से विभिन्न राजस्व न्यायालयों में मुकदमेबाजी चली। इसी दरम्यान राजाराम का निधन हो गया और राजाराम की पुत्री निर्मला देवी तथा दामाद उमेश चन्द्र ने अकारण मुकदमेबाजी प्रारम्भ कर दी। प्रश्नगत सम्पत्ति को लेकर राजस्व न्यायालय में विवाद लम्बित है। प्रश्नगत सम्पत्ति को साजिशन वाद सं0 48/1996 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.1999 के आधार पर राजाराम ने कब्जा लेने का प्रयास किया तब निगरानीकर्ता द्वारा पक्ष मुकद्दमा बनने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया तथा राजाराम का प्रार्थनापत्र परगना मजिस्ट्रेट बदायूं द्वारा दिनांक 11.09.2015 को निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध राजाराम द्वारा फौजदारी निगरानी सं० 540/2000 योजित की गयी जो दिनांक 14.04.2016 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 8 द्वारा निरस्त कर दी गयी जिसके विरुद्ध राजाराम ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 14380/2014 योजित की जो दिनांक 30.07.2015 को निरस्त हुई। वर्ष 2015 में उमेश चन्द्र, राजाराम तथा एक व्यक्ति नवाज अहमद ने सम्पत्ति विवादित पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तब निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय सिविल जज जू० डि० बदायूं मूल वाद सं0 74/2015 सूबेदार खां बनाम नवाज अहमद आदि योजित किया तथा प्रार्थनापत्र

अस्थायी निषेधाज्ञा पर न्यायालय सिविल जज जू० डि० बदायूं द्वारा दिनांक 06.04.2015 को स्टे आदेश पारित करते हुए उक्त वाद के प्रतिवादीगण को निषेधित कर दिया। उक्त स्टे आदेश आज भी प्रभावी है तथा उक्त वाद न्यायालय सिविल जज जू० डि० बदायूं में लम्बित है। न्यायालय द्वारा पारित स्टे आदेश दिनांक 06.04.2015 के रहते उमेश चन्द्र व निर्मला देवी ने प्रश्नगत सम्पत्ति पर पुलिस की सहायता से जबरन कब्जा लेने के उद्देश्य से थानाध्यक्ष, थाना कादरचौक की आख्या दिनांक 09.12.2021 के आधार पर धारा 145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी। लेकिन मूल वाद सं० 74/2015 में पारित स्टे आदेश के रहते विवादित सम्पत्ति कुर्क न हो सकी और उपजिला मजिस्ट्रेट बदायूं द्वारा वाद सं० 118683 निर्मला देवी बनाम सूबेदार खां अन्तर्गत धारा 145 में जारी प्रारम्भिक आदेश को वापस लेने का आदेश दिनांक 06.12.2022 को पारित किया। मूल वाद सं0 74/2015 के लम्बित रहते तथा स्टे आदेश के प्रभावी रहते हुये उमेश चन्द्र व निर्मला देवी ने प्रश्नगत सम्पत्ति का इकरारनामा दिनांक 11.02.2021 को प्रस्तुत निगरानी के विपक्षीगण सं० 2 व 3 के पक्ष में कर दिया। तब निगरानीकर्ता द्वारा उन्हें पक्ष मुकद्मा बनाये जाने के लिए प्रार्थनापत्र– 108क प्रस्तुत किया। निगरानीकर्ता के पक्ष में हुयी वसीयत दिनांक 09.06.1996 को राजस्व न्यायालय में साबित करने के लिए राजाराम ने गवाही की तथा राजाराम ने स्वयं प्रश्नगत सम्पत्ति पर निगरानीकर्ता का कब्जा स्वीकार किया। दौरान मूल वाद सं0 74/2015 उमेश चन्द्र व निर्मला देवी ने तथाकथित इकरारनामा दिनांक 11.02.2021 के आधार पर दो तथाकथित बैनामे दिनांक 24.03.2023 को विपक्षी सं० 2 व 3 को कर दिये जिसके आधार पर विपक्षी सं0 2 व 3 ने प्रश्नगत सम्पत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया तब निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय सिविल जज जू० डि० बदायूं में मूल वाद सं0 413/2023 सूबेदार खां बनाम निर्मला देवी तथाकथित बैनामों के निरस्तीकरण व अस्थायी निषेधाज्ञा के योजित किया। उक्त मूल वाद भी न्यायालय में लम्बित है। विपक्षी सं० 2 व 3 ने राजस्व न्यायालय में अपनी राजनैतिक दवाब के चलते अपने नाम का इन्द्राज करा लिया जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा कार्यवाही की गयी जो कि लम्बित है। विपक्षी सं० 2 व 3 येन केन प्रकरण अपनाकर प्रश्नगत सम्पत्ति पर पुलिस की साजिश से कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु माह अॅक्टूबर– 2023 में जबर्दस्ती विपक्षी सं० 2 व 3 ने अपने सहयोगियों की मदद से निगरानीकर्ता की खाली पड़े खेतों सम्पत्ति विवादित पर अवैध रूप से जुतवाया, तब दिनांक 03.10.2023 को निगरानीकर्ता द्वारा सक्षम अधिकारियों को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये। प्रार्थी / निगरानीकर्ता द्वारा सम्पत्ति विवादित में गेंहूं व लहटा (सरसों) की बुवाई कराई। तब विपक्षी सं० 2 व 3 व उनके सहयोगियों ने बहुत विरोध किया। निगरानीकर्ता की बीमारी के चलते उसे इलाज

के लिये दिल्ली जाना पड़ा तथा निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में विपक्षी सं० 2 व 3 ने प्रश्नगत सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से तारकशी करा दी जिसकी जानकारी होने पर दिनांक 13.02.2024 को निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र प्रेषित किया तथा थाना पुलिस द्वारा उस पर जाँच कर गलत तरीके से बब्बू पुत्र शम्शुद्दीन के द्वारा फसल को बोना दिखा दिया गया और दिनांक 18.02.2024 को धारा 107/116 की कार्यवाही कर दी और धारा 145 दं०प्र०सं० की रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को प्रेषित कर दी। विपक्षीगण की साजिश से थाना पुलिस कादरचौक द्वारा यह जानते हुए कि प्रश्नगत सम्पत्ति पर न्यायालय से स्टे आदेश है, उसका उल्लंघन करते हुये दिनांक 28.02.2024 को प्रश्नगत सम्पत्ति की फसल के सम्बन्ध में विवाद दर्शाते हुए अपनी रिपोर्ट उपजिलाधिकारी, बदायूं को प्रेषित कर दी। प्रश्नगत सम्पत्ति में निगरानीकर्ता की गेंहूं व सरसों की फसल है तथा सरसों की फसल पक कर तैयार हो गयी है, जब निगरानीकर्ता द्वारा उसको काटना चाहा तब विपक्षीगण ने पुलिस की साजिश से उक्त कार्यवाही करा दी। उपजिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से दिनांक 28.02.2024 को राजनैतिक दवाब में धारा 145 (1) दं०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये प्रश्नगत सम्पत्ति को तीसरे पक्ष की सुपुर्दगी में देने का आदेश पारित कर दिया। उपजिला मजिस्ट्रेट बदायूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2024 विधि विरुद्ध है तथा अवर न्यायालय ने न्यायालय के स्टे आदेश को अनदेखा कर उक्त आदेश पारित किया है। थाना पुलिस कादरचौक द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 में जानबूझ कर स्टे आदेश का उल्लेख नहीं किया, जबकि जाँचाख्या दिनांक 21.02.2024 में स्टे आदेश का उल्लेख किया है। विपक्षीगण ने थाना पुलिस की साजिश से प्रश्नगत सम्पत्ति को हथियाने के लिए उक्त कार्यवाही कराई है तथा प्रश्नगत सम्पत्ति के बाबत स्टे आदेश के रहते 145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही पोषणीय नहीं है। प्रथम द्रष्ट्या अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2024 स्थिर रहने योग्य नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2024 अपास्त किये जाने योग्य हैं।

03– निगरानी के साथ निगरानीकर्ता की ओर से स्वयं का शपथ पत्र, आदेश दिनाँक 28.02.2024 की सत्य प्रति द्वारा पारित उपजिला मजिस्ट्रेट सदर बदायूँ वाद संख्या–103191 अंतर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता, नकल सत्य प्रति पुलिस रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024, छाया प्रति प्रार्थना पत्र दिनाँक 03.10.2023 मय छाया प्रति रसीद डाकखाना, छाया प्रति जाँच रिपोर्ट पुलिस दिनाँक 21.02.2024, छायाप्रति प्रार्थना पत्र दिनाँक 19.12.2023, छायाप्रति वाद पत्र वाद संख्या 74/2015 सूबेदार खाँ बनाम नवाज अहमद आदि, सत्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र 108 क 1 वाद संख्या–74/2015, सत्य प्रति सम्पूर्ण आदेश पत्र वाद

संख्या–74/2015, छायाप्रति आदेश दिनाँक 03.07.1999 तहसीलदार सहसवान, छायाप्रति वाद पत्र वाद संख्या–413/2023 सूबेदार बनाम निर्मला दवी, छाया प्रति आदेश पत्र वाद संख्या–413/2023 सूबेदार बनाम निर्मला देवी, छायाप्रति आदेश दिनाँक 14.04.2016 फौजदारी निगरानी संख्या 540/2015, छायाप्रति आदेश दिनाँक 06.12.2022 वाद संख्या–118683 निर्मला देवी बनाम सूबेदार खाँ अंतर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता, नकल खसरा, छायाप्रति मुख्तयारनामा आम सूबेदार खाँ वाहक छम्मन खाँ, छायाप्रति आधार कार्ड सूबेदार खाँ प्रस्तुत की गयी हैं।

06– अवर न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि आदेश की दो प्रतियाँ थानाध्यक्ष थाना कादरचौक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शांति व्यवस्था की वर्तमानन आपात परिस्थितियों के दृष्टिगत वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम रमजानपुर थाना कादरचौक जिला बदायँ के गा०सं० 970 रकवा 1.229 हे० व गा०सं० 1256 रकवा 0.923 हे० को तत्काल अस्थायी तौर पर किसी तीसरे ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति जो उपरोक्त दोनों पक्षों से संबंधित न हो, की सुपुर्दगी में देते हुये नोटिस धारा 145(1) दं०प्र०सं० की तामील की प्रक्रिया के अनुसार दोनों पक्षों पर नोटिस की तामील करायें तथा उनके दिनाँकित सहित हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा भी प्राप्त कर नियत तिथि से पूर्व इस न्यायालय को वापस भिजवाना सुनिश्चित करें।

07– उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

08– विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा सही आदेश पारित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

<u>निष्कर्ष</u>

09– प्रस्तुत रिवीजन उप जिला मजिस्ट्रेट सदर बदायूँ द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 28.02.2024 के विरुद्ध योजित किया गया है। जिसमें उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 145 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही जारी करते हुये 145(A) सीआर०पी०सी० के तहत विवादित सम्पत्ति तीसरे व्यक्ति की सुपुर्दगी में देने का आदेश पारित किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा यह बताया गया है कि विवादित भूमि गाटा संख्या 970 व 1256 के संबंध में दोनों पक्षों में विवाद है। दोनों पक्ष जगह को अपनी–अपनी बता रहे हैं। जिसमें 24.03.2023 का द्वितीय पक्ष द्वारा बैनामा करा लिया गया है और उसका दाखिल खारिज भी करा लिया है। थानाध्यक्ष कादरचौक की आख्या से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर सरसों की फसल को निकालने को लेकर व कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में तनाव चल रहा है। अतः निषेधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। इसलिये भूमि को कुर्क कर दिया गया और तीसरे व्यक्ति की सुपुर्दगी में

आख्या प्रेषित कर दी गयी। उप जिला अधिकारी द्वारा जिस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह आलोच्य आदेश पारित किया गया है वह पुलिस रिपोर्ट थाना कादरचौक की दिनांक 28.02.2024 की है। इस पुलिस रिपोर्ट में थाना कादरचौक द्वारा यह स्पष्ट रुप से यह आख्या दी गयी है कि गाटा संख्या 970 व 1256 स्थित ग्राम रमजानपुर परगना उझानी, जिला बदायूँ जिसमें गाटा संख्या 1256 में सरसों की और 970 में गेहूँन की फसल निकट भविष्य में तैयार है और इसी फसल निकालने के लिये दोनों पक्ष अमादा हैं। दोनों पक्ष संबंधित भूमि को अपनी –अपनी बता रहे हैं। प्रथम पक्ष सूबेदार खाँ का उक्त जमीन पर सन् 1999 से कब्जा चला आ रहा है और उसी के द्वारा सन् 2022 में गेँहू बोया गया था। किन्तु द्वितीय पक्ष यादवेन्द्र सिंह शाक्य द्वारा 24.03.2023 को बैनामा करा लिया गया है और उसका दाखिल खारिज भी कराय लिया। यह भी बताया गया कि प्रथम पक्ष सूबेदार खाँ ने माननीय न्यायालय में वाद दायर कर जमीन पर स्टे आदेश पारित करा लिया है। जबकि आलोच्य आदेश में अवर न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा न तो यह कथन किया गया है कि प्रथम पक्ष सूबेदार खाँ का सन् 1999 से कब्जा है और न ही यह बताया गया कि सूबेदार खाँ द्वारा न्यायालय में वाद दायर करके स्टे प्राप्त कर लिया गया है। इन दोनों ही तथ्यों को उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आलोच्य आदेश में छुपा लिया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में यह भी लिखा कि दोनों पक्षों में भारी तनाव है। जबकि पुलिस आख्या में कहीं पर भी भारी तनाव होने का कथन नहीं है। केवल तनाव चल रहा है, का कथन है और धारा 145 की कार्यवाही के लिये यह आवश्यक है कि आपात स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए और इस संबंध में अवर न्यायालय का निष्कर्ष होना चाहिए। जबकि पुलिस रिपोर्ट में कहीं पर भी आपात स्थिति उत्पन्न होने की आख्या नहीं है और अवर न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष किस आधार पर लिया गया है यह आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेम किशोर बनाम उ०प्र० राज्य 2016 (114) ALR 49 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एस०डी०एम० तभी धारा 145 व 146 सीआर०पी०सी० में आदेश पारित कर सकता है जब आपात स्थिति उत्पन्न हो और इस आशय की संतुष्टि एस०डी०एम० को हो और संतुष्टि होने का आधार भी होना चाहिए। किन्तु एस०डी०एम० की संतुष्टि का आधार पुलिस आख्या है और पुलिस आख्या में कहीं भी आपात स्थिति या भारी तनाव होने की कोई आख्या नहीं है। एस०डी०एम० द्वारा स्वयं अपने ही आदेश में भारी तनाव होने का कथन कर दिया है इस प्रकार एस०डी०एम० का यह आदेश इस संबंध में भी स्थिर रहने योग्य नहीं है और साथ ही साथ एस०डी०एम० द्वारा इस तथ्य को भी छुपा लिया गया कि पक्षकारों के मध्य दीवानी न्यायालय में वाद दायर कर स्टे आदेश प्राप्त किया गया है। यदि इसी भूमि के संबंध में दीवानी वाद लंबित पूर्व से हो

या लम्बित हो जाए तो धारा 145 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही पोषणीय नहीं रहती है और आगे नहीं चलाई जा सकती। एस०डी०एम० सदर बदायूँ द्वारा इस तथ्य को भी नजरअन्दाज करके आलोच्य आदेश पारत कर दिया। जबकि पुलिस आख्या में यह स्पष्ट है कि दीवानी न्यायालय में वाद दायर करके स्टे आदेश भी पारित करा लिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अमरेश तिवारी बनाम लालताप्रसाद दुबे AIR 2000 SC 1504 की विधि व्यवस्था में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि उसी सम्पत्ति की बावत व्यादेश व कब्जे का विवाद सिविल न्यायालय में लंबित हो तो धारा 145 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा इस तथ्य को भी पूर्णतया नजरअन्दाज करके गलत आदेश पारित कर दिया गया। अवर न्यायालय ने प्रथम पक्ष द्वारा यह भी तथ्य अवगत कराया गया और इस संबंध में प्रपत्र भी दाखिल किये गये कि विवादित सम्पत्ति के मालिक बाबूराम थे। जिन्होने अपनी सम्पत्ति की वसीयत प्रथम पक्ष सूबेदार खाँ को 09.06.96 को निष्पादित कर दी और बाबूराम के सगे भाई राजाराम इस वसीयत में गवाह थे और सूबेदार का नाम वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दाखिल भी हो गया। किन्तु बाबूराम के भाई राजाराम द्वारा इस भूमि पर कब्जा लेने का प्रयास किया गया और 145 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जो दिनाँक 11.09.2015 को समाप्त हो गयी और आदेश बाबूराम व सूबेदार खाँ के पक्ष में हुआ जिसका फौजदारी रिवीजन 540/2000 राजाराम ने दायर किया जो दिनाँक 14.04.2016 को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० –8 में खारिज हो गया। इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट पीटीशन 14380 दायर की गयी वह रिट पीटीशन भी माननीय उच्च न्याायलय द्वारा खारिज कर दी गयी। इसके बावजूद भी एक अन्य 145 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही 74/15 राजाराम की लड़की निर्मला देवी व दामाद उमेश चन्द्र द्वारा योजित की गयी जो 06.12.2012 को निरस्त हो गयी। सूबेदार खाँ के द्वारा मूल वाद संख्या 74/15 दीवानी न्यायालय में योजित किया गया जिसमें दिनाँक 06.04.2015 को सूबेदार खाँ के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश भी पारित हुआ। उसके बाद निर्मला देवी व उमेशचन्द्र द्वारा बैनामा दिनांक 24.03.2023 द्वितीय पक्ष को कर दिया गया जिसके निरस्तीकरण का वाद प्रथम पक्ष द्वारा 413/2023 दीवानी न्यायालय में योजित किया गया। निर्मला देवी व उमेशचन्द्र का नाम कभी भी राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज नहीं हुआ। इसके बावजूद भी उनकी तरफ से किये गये बैनामे के आधार पर द्वितीय पक्ष का नाम दाखिल करने का आदेश एस०डी०एम० बदायूँ द्वारा पारित कर दिया गया। ये सब तथ्य यह दृष्टिगौचर करते हैं कि एस०डी०एम० बदायूँ द्वारा जानबूझकर स्वीकृत तथ्यों की अनदेखी करते हुये मात्र द्वितीय पक्ष को लाभ पहुँचाने के आशय से आलोच्य आदेश

पारित कर विवादित सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। इसलिये अवर न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है, अपास्त होने योग्य है और पुनरीक्षण स्वीकार करने योग्य है।

<u>आदेश</u>

फौजदारी निगरानीन संख्या– 56/2024 सूबेदार खाँ बनाम स्टेट आदि स्वीकार किया जाता है। अवर न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सदर बदायूँ द्वारा धारा 145 सीआर०पी०सी० में पारित आदेश दिनाँक 28.02.2024 सूबेदार खाँ बनाम यादवेन्द्र शाक्य आदि अपास्त किया जाता है और अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह इस पुनरीक्षण में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अवर न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 06.07.2026

(कु० रिंकू)
J.O. Code UP- 6101
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०– 1, बदायूँ

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
दिनांकः 06.07.2026

(कु० रिंकू)
J.O. Code UP- 6101
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०- 1, बदायूँ

Digitally signed by Rinku Jindal
Date: 2026.07.06 17:02:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court